संख्या-05/2019/753/77-2-2019-3(बजट)/2018

प्रेषक,

डा0 राकेश वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

मुद्रण एवं लेखन सामग्री,

उ0प्र0, प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक :18 जुलाई, 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण (पूँजी लेखा) के अन्तर्गत बजट प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-48/क्रय(यंत्र)/2019-20, दिनांक 22-6-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक "4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय, 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत बजट प्राविधानित धनराशि रू0-10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि केवल आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत नई मशीनों के क्रय पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद/प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019, जो समस्त विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा व्यय का विवरण मासिक आधार पर शासन एवं महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से राजकीय मुद्रणालयों के लिए मुद्रण मशीनों का क्रय दीर्घकालीन उपयोग के लिए किया जा रहा है। अत: उच्च गुणवत्ता की मशीनों एवं अन्य संबंधित कल पुर्जो आदि का

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रय उच्च गुणवत्ता की मशीन उत्पादन करने वाले अनुभवी/ख्याति प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों से पूर्व की भांति ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाय। उनके वित्तीय भाव पत्र खोले जाने से पूर्व उनकी निर्धारित गुणवत्ता, वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता की भली प्रकार जॉच कर ली जाय ताकि अच्छी गुणवत्ता की मशीनें राजकीय मुद्रणालयों को प्राप्त हो सकें।

(5) उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक "4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय, 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

(6) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राकेश वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 05 /2019/753(1)/77-2-2019-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज ।
5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।